राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in

दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859

फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1649 / SEIAA/2022

Date: 23/9/22

प्रति,

श्री दशरथ बामोरिया
आत्मज श्री केशवराव बामोरिया,
निवासी 64, हाउसिंग बोर्ड, खाचरौद,
जिला उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण क्र 9245/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दशरथ बामोरिया आत्मज श्री केशवराव बामोरिया, निवासी 64, हाउसिंग बोर्ड, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 व एम–सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 2176/2440/2, ग्राम धिनौदा, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 746वी SEIAA बैठक दिनांक 13.09.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र में 10 पेड़ लगे है, जिनमें से 01 पेड़ काटे जायेगे जिसके एवज में 10 पेड़ लगाये जायेगें......

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में कृपया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं **SEIAA** कार्यालय में प्रस्तुत करें, तदानुसार प्रकरण पर पुर्नविचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव